

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
20.01.2023

मिसल नम्बर
06 / 2012 / प्रा.पत्र / 2012

तारीख दायरा
31.05.2012

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.....आवेदक

बनाम

1-श्री लाल चन्द अग्रवाल पुत्र श्री देवीनारायण अग्रवाल (विक्रेता) अग्रवाल किराणा स्टोर
अस्पताल के पास झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक निवासी गढ के पास झिलाई तहसील
निवाई जिला टोंक

2-मैसर्स अग्रवाल किराणा स्टोर अस्पताल के पास झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक
.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप
धारा 2 (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री तेजमल जैन उप।

: -निर्णय- :

दिनांक 20.01.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 20.10.2011 को समय 12:30 पी.एम पर मैसर्स अग्रवाल किराणा स्टोर अस्पताल के पास
झिलाई तहसील निवाई जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री लाल चन्द अग्रवाल पुत्र श्री
देवीनारायण अग्रवाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री लाल
चन्द अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री
प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री लाल चन्द अग्रवाल की उपस्थिति में दुकान
का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के
साथ 500-500 ग्राम की नमकीन (राधिका ब्राण्ड) के 30 पैकेट रखे हुये थे जिसे खाद्य सुरक्षा एवं
मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा
हुआ तो श्री लाल चन्द अग्रवाल को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को
सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय
मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह नमकीन (राधिका
ब्राण्ड) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 4 पैकेट खरीदे, जिसकी
कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा नमकीन (राधिका ब्राण्ड) के
नियमानुसार चार भाग तैयार कर (प्रत्येक भाग में एक पैकेट) एवं चारों नमूना भागों के लिये चार
लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य
पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-105 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया।

